

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 80/3110/

पटना, दिनांक 30.11.17

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक (तक०),
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0002.11.01 यात्रा व्यय मद में रू० 2,00,000/- (दो लाख) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,


उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु विषय शीर्ष 0002.11.01 यात्रा व्यय मद में कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए किया जा रहा है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 उद्योग निदेशालय के पत्रांक 3646 दिनांक 29.11.17 द्वारा आवंटन संख्या 17(आ०) दिनांक 30.05.2017 यात्रा व्यय मद में प्राप्त आवंटित राशि रू० 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) में से रू० 2,00,000/- (दो लाख) प्रत्यापण किया गया है।
- 6 पूर्व में निर्गत आवंटन संख्या 67(आ०) दिनांक 18.10.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- 7 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ० पृ० उ०

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० / बिल नं० एवं मासिक CTMIS का प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(च) 2017-18 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक आवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन




उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 80/3170/

पटना, दिनांक 30-11-17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 80/3170/

पटना, दिनांक 30-11-17

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 80/3170/

पटना, दिनांक 30-11-17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग / प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।